न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 218/2020

जीसीएमएस नम्बर : 2020/00341

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. हरीसिंह 2. शंकरसिंह पिसरान भूरसिंह जाति राजपुरोहित निवासीगण रड़ावास 3. तखतसिंह पुत्र छोगसिंह जाति राजपुरोहित निवासी देवली आउवा		1. सरपंच ग्राम पंचायत हेमलियावास खुर्द 2. लता कंवर बेवा जगतसिंह जाति राव, निवासी रेवड़िया 3. प्रीतमसिंह पुत्र जगतसिंह 4. भवानीसिंह पुत्र जगतसिंह जातिगण राव, निवासीगण रेवड़िया तहसील मारवाड़ जंक्शन।

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल प्रजापत।

–: निर्णय :–

दिनांक : 29/09/2025

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत हेमलियावास खुर्द द्वारा मिसल संख्या 83/87–88 एवं उसकी पालना में जगतसिंह पुत्र दलपतसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 55 दिनांक 01.06.1988 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत ने पत्र दिनांक 31.05.2024 के द्वारा जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होना बताया। अधिवक्ता प्रार्थी संख्या 2 व 3 वक्त बहस अनुपस्थित होने से उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम हेमलियावास खुर्द में प्रार्थीगण की पंजीबद्ध बेचाणनामें से खरीदसुदा, कब्जासुदा मालिकाना परिसर स्थित है। जैर आराजी रामसिंह पुत्र केसरसिंह का कब्जासुदा परिसर था, जिससे मोहनलाल पुत्र दलाराम जटिया निवासी दुदौड़ एवं मगाराम पुत्र पुनाराम जटिया निवासी सारण ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाणनामा दिनांक 02.06.1981 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। मगाराम पुत्र पुनाराम ने खरीद सुदा परिसर निगरानीकर्ता हरीसिंह को एवं मोहनलाल पुत्र दलाजी ने निगरानीकर्ता शंकरसिंह एवं तखतसिंह को वर्ष 1994 में बेचान कर कब्जा सुपूर्द किया। अप्रार्थीगण के पिता/पति जगतसिंह की मृत्यु होने के बाद उनके नाम से मृत सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर कर गलत तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी

अति. जिला कलेक्टर पाली

करवाया। वर्तमान में मौके पर प्रार्थीगण काबिज है। जैर निगरानी पट्टे का रेकर्ड भी ग्राम पंचायत में उपलबध नहीं हैं। उक्त पट्टा एबइनिशियों वोइड होने से शून्य एवं निष्प्रभावी है। ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों में विहित प्रावधानों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जिसे निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा होने से उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुये नियमानुसार जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं हैं। प्रकरण में यदि कोई तकनीकी त्रुटि रह जाती है तो उसके लिये अप्रार्थीगण दोषी नहीं है। प्रार्थी ने बिना विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत हेमलियावास खुर्द द्वारा मिसल संख्या 83/87–88 एवं उसकी पालना में जगतसिंह पुत्र दलपतसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 55 दिनांक 01.06.1988 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर आराजी प्रार्थी की खरीदसुदा है और ग्राम पंचायत ने प्रार्थी की खरीदसुदा भूमि में प्रश्नगत पट्टा जारी कर दिया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त कथन का विरोध करते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि में अप्रार्थी के कब्जे सुदा भूमि का जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। उक्त तथ्यों की पुष्टि हेतु अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाते है कि प्रार्थीगण ने श्रृंखलाबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 03.06.1981 एवं 14.07.1994 के द्वारा जैर आराजी खरीद की थी, जिसकी वस्तुस्थिति अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार है, जो कि उसमें अंकित पड़ौस एवं विक्रय विलेख में अंकित पड़ौस से प्रमाणित है। जैर आराजी के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय मारवाड़ जंक्शन के प्रकरण संख्या 121/11 में प्रस्तुत मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 02.12.2011 अनुसार विवादित स्थल के उत्तर दिशा में रास्ता, दक्षिण दिशा में उम्मेद की बारी (बडी), पूर्व दिशा में आम रास्ता एवं पश्चिम दिशा में गली है तथा प्रार्थी के खरीदसुदा आराजी में भी पूर्व दिशा में आम रास्ता एवं दक्षिण दिशा में उम्मेदराम की कृषि भूमि अंकित है। इसके अतिरिक्त सिविल न्यायालय मारवाड़ जंक्शन के फौजदारी प्रकरण संख्या 862/2014 सरकार बनाम लता कंवर में अनुसंधान के दौरान प्रस्तुत नक्शा मौका एवं अंकित तथ्यों से यह साबित है कि ग्राम पंचायत ने प्रार्थीगण की कब्जेसुदा भूमि के किसी हिस्से का, प्रार्थी के विक्रय विलेख से भिन्न नाप का जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थीगण के पिता/पति के पक्ष में जारी किया है। उपर्युक्त तथ्यों से यह साबित है कि ग्राम पंचायत ने नजूल भूमि से भिन्न किसी अन्य भूमि का जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो कि पंचायतीराज नियमों में वर्णित प्रावधानों के विरूद्ध है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया है। प्रश्नगत पट्टे की प्रति का अवलोकन करने पर पाते है कि इसके पड़ौस उत्तर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

दिशा में पंचायत की भूमि एवं दक्षिण दिशा में प्रेमप्रकाश का थाला अंकित है जबकि इसी पट्टे पर बने नक्शे पर उपर्युक्त पड़ोस विपरीत दिशा में दर्शित है। प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित मिसल, पट्टा बुक एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत के रेकर्ड में उलपब्ध नहीं होना भी पट्टे की सत्यता पर प्रश्नचिह्न अंकित करता है। भूमि का पट्टा तभी वैध माना जाता है जब वह स्पष्ट रूप से भूमि की सीमाएं, स्वामित्व और उपयोग के अधिकारों को प्रमाणित करता हो। राजस्थान पंचायती राज एक्ट और सम्बन्धित नियमों के अनुसार, पट्टा जारी करते समय उसका पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होता है। रिकॉर्ड के बिना पट्टा जारी करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है क्योंकि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही खत्म हो जाती है। बिना रिकॉर्ड के जारी पट्टे की वैधता संदिग्ध होती है। इसका अर्थ है कि पट्टा फर्जी, गलत या भ्रष्टाचार से प्रभावित हो सकता है। ग्राम पंचायत के पास पट्टे का पूरा रिकॉर्ड होना अनिवार्य है। यदि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो यह पट्टा जारी करने में प्रक्रिया का उल्लंघन माना जाएगा। जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित दस्तावेज यथा मिसल, बैठक कार्यवाही रजिस्टर एवं पट्टा बुक ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, जो पट्टे की वैधता पर गंभीर प्रश्न उठाता है। बिना उचित दस्तावेज के पट्टा अस्वीकार्य होता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त AIR 1997 SC 1125 L. Chandra Kumar vs Union of India में स्पष्ट किया कि पट्टे के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और उचित रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त Ram singh vs State of UP, 2015 के अनुसार पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड का होना अनिवार्य है, बिना रिकॉर्ड के पट्टा की वैधता नहीं मानी जाएगी। ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड का गायब होना जानबूझकर दस्तावेजों से छेड़छाड़ की आशंका को जन्म देता है, इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने 1957 AIR 882 Union of India vs T.R. Varma में स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड की अनुपलब्धता स्वयं में जांच का आधार है, खासकर जब वह किसी विवादित निर्णय से सम्बन्धित हो। इसी तरह 2003 RLW 1119 Ramchandra vs State of Rajasthan में यह अंकित किया कि यदि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा बिना वैध रिकॉर्ड के या बिना अधिसूचना के जारी किया गया है, तो वह आदेश कानूनन टिक नहीं सकता।

हस्तगत प्रकरण में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त AIR 1958 SC 32 M.C. Chockalingam vs Union of India में प्रतिपादित सिद्धान्त को उद्धत करना समीचीन प्रतीत होता है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि भूमि पट्टों के मामलों में पारदर्शिता और नियमों का पालन आवश्यक है, अन्यथा पट्टा रद्द किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया कि यदि पट्टे के साथ सम्बन्धित कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो पट्टे को संदिग्ध माना जाएगा और वह रद्द किया जा सकता है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आदेशों में पारदर्शिता और रिकॉर्ड रखरखाव को जरूरी बताया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ही नहीं है, जो प्रकरण को संदेहास्पद बनाता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत की कार्रवाई को संशोधित,

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

निरस्त, उल्टा या स्थगित या पुर्नविचार किए जाने की शक्तियां न्यायालय हाजा को प्रदत्त है। इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा जारी आज्ञा एवं उक्त आज्ञा की पालना में जारी पट्टे की वैधता को जांचने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा में निहित है। इस मामले में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियमों की पालना किये बिना प्रार्थीगण की खरीद सुदा भूमि पर पट्टा जारी किया गया है, जिसका रेकर्ड भी ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है, जिसे मान्यता प्रदान किया जाना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत हेमलियावास खुर्द द्वारा मिसल संख्या 83/87–88 एवं उसकी पालना में जगतसिंह पुत्र दलपतसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 55 दिनांक 01.06.1988 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि सम्बन्धित को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 29/09/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली